14/ लोकसभा (निर्वाचनों) 2014 ARO

01:38 PM 19/3/14

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

[1][प्ररूप–2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग–1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए .... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ। अभ्यर्थी का नाम .... पिता/माता/ पति का नाम........................ उसका डाक पता........................ उसका नाम........................ संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र [में समाविष्ट........................ विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .... में क्रम सं0 .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .... है जो .... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट .... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .... में क्रम सं0 .... पर प्रविष्ट है।

तारीख........................

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ....39 नवादा.... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम ....सफदर इसमाईल....

पिता/माता/पति का नाम ....इसमाईल नबी....

उसका डाक पता ....साकिन–शेवाड़ा; थाना–शेवाड़ा जिला शेखपुरा....

उसका नाम ....40; जमुई (अ0जा0).... संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र *(में समाविष्ट शेखपुरा 169 विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक ....181 (181).... में क्रम संख्यांक 436 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्याक

क्र.सं.	विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं0	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवादा विधान सभा 237	272	555	नवलकिशोर सिंह	Naval [illegible]	
2.	,,	,,	706	जितेन्द्र कुमार	[illegible]	19.3.1
3.	,,	,,	815	गौतम कुमार	Gautam Kumar	19.3.1
4.	,,	,,	781	विक्रम सिंह	VIKRAM Singh	
5.	,,	,,	780	कुणाल कुमार	कुणाल कुमार	19.3.14
6.	,,	218	1261	अजय लाल बर्णवाल	अजयलाल बर्णवाल	
7.	,,	,,	901	महावीर प्रसाद	महावीर प्रसाद	19/03/
8.	,,	217	617	राकेश कुमार	राकेश कुमार	19/3/0
9.	,,	,,	71	भोला कुमार	भोला कुमार	19.03.
10.	,,	272	674	श्रीकान्त कुमार	श्रीकान्त कुमार	19.3.

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन–क्षेत्र के 10 निर्वाचक हाने चाहिए।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 3

मैं, भाग1/भाग2 (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने ....36........ वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii)जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) ~~मुझे इस निर्वाचन में~~ .... दल ~~द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।~~

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में .... ~~दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है।~~ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) .... (ii) .... (iii) .... हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ....देवनागरी.... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नही हूँ।

* मैं ~~यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो~~ .... ~~राज्य के उस राज्य में के~~ .... ~~(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।~~

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधरण निर्वाचन/उप–निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

Safdar Ismail

तारीख....19/03/14....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

*जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समादिष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :– "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैति दल अभिप्रेत है।

प्ररूप 26

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
NAWADA SCORE, NAWADA
COURT FEE
Authorization No. 2010
INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000100
37530
Zero Zero

बिहार
JUDICIAL
19.3.2014
3895 1726716

WELFARE STAMP Rs. 5
बिहार
पाँच रुपये RUPEES FIVE

....

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 39 नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ...... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं ...... सफदर इसमाइल ...... **पुत्र/पुत्री/पत्नी ...... इसमाइल रव ...... आयु ...... 36 ...... वर्ष, जो ...... साकिन चेवाड़ा पोस्ट : चेवाड़ा थाना चेवाड़ा ...... जिला शेखपुरा ......

....

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

(1) मैं ...... स्वतंत्र अभ्यर्थी ...... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रुप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम जमुई लोक सभा के शेखपुरा विधान सभा (बिहार) ...... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 181 ...... के क्रम सं ...... 436 ...... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ...... 9931648835 ...... है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...... Safdar Ismail@gmail.com है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

No. 05 Book No 3759

19 MAR 2014

SIP

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की –

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

हाँ/नहीं

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं

अधिसूचना सं० का०आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है नहीं

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागु नही होता

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागु नही होता जिला (जिले) लागु नही होता राज्य

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

लागु नही होता

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)

लागु नही होता

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

लागु नही होता

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

लागु नही होता

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागु नही होता

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : – हाँ/नही

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ लागु नही होता

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे लागु नही होता

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं लागु नही होता

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो –

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागु नही होता

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति लागु नही होता

स्थान :

तारीख : 19/03/14

Sefdar Ismail

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

क्रम सं.	नाम	[illegible]	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AAPP 16474D	लागु नहीं होता	लागु नहीं होता
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नालिखत मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागु नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागु नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागु नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागु नहीं होता
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागु नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागु नहीं होता

बिहार सरकार अनीता कुमारी नोटरी रजि०–1796 जिला–नवादा

580

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों मे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
(i)	हाथ में नकदी	70000=00	10000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	केनरा बैंक नवादा 250000=00 ग्रामीण बैंक नवादा 10000=00 स्टेट बैंक पटना 40000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों मे विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	G.C.C. 25000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक ,रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	omani van Maruti WB02V 7438 2012 120000 Motorcycle BR53 14610 32000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	2 भट सोना 60000=0	4 भट सोना 120000=0	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	575000=00	130000=00	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	चेवारा (शेखपुरा)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	3 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

S/8

	विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	4900000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नही)	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	चेवाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	640 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	640 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	सन 2011				
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	120000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2000000=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए)	चेवाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6000 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4000 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बिहार सरकार नोटरी जिला-नवादा

518

	क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1000000=0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	7900000=0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित –1	आश्रित –2	आश्रित –3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	G.C.C. 25000=0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्यवों का कुल योग	25000=0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय–कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य		शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपति कर शोध्य				
	विक्रयकर शोध्य		शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं........ यूनानी चिकित्सक

(ख) पति या पत्नी........ गृहिणी........

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :–

.... B.U.M.S .... बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ....

.... जी.टी.एम. कॉलेज पटना ....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

SIP

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम			श्री/श्रीमती/कु० सफदर इसमाईल		
2	डाक का पता			साकिन चेवाड़ा थाना चेवाड़ा जिला नवादा		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य			40 जमुई लोक सभा 169 शेखपुरा विधान सभा, बिहार		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वंतत्र लिखे)			स्वतंत्र		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।			लागु नहीं होता		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			लागु नहीं होता		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)			लागु नहीं होता		
7			………… का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी		AAPP16474D	लागु नहीं होता		लागु नहीं होता
	(ख) पति या पत्नी		शून्य	शून्य		शून्य
	(ग) आश्रित		शून्य	शून्य		शून्य
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	575000=00	130000·00	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	7900000·00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	120000/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	1820000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	2000000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	2575000/-	130000/-	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	4900000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : B.U.M.S. बी आर अम्बेदकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर . जी.डी.एम कॉलेज पटना (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

S180